न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 12 सन 2019
अनवान :—

1. दीपचन्द पुत्र बांगाराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :— मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :— 10/12/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 87/78 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक का अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 90/76 के खसरा न0 220/2.0240हैक खसरा न0 341 की 7.9670हैक खसरान0 342 की 14.7710हैक कुल 24.7620हैक भूमि में प्रार्थी सयुक्त तौर से 195–4/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम दीपचन्द पुत्र प्रताप कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम बागांराम है प्रार्थी अपने पिता सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी के पिता का नाम बागांराम दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रताप दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा वादी के पिता के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी के पिता का सही नाम बांगाराम है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 87/78 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक का अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 90/76 के खसरा न0 220/2.0240हैक खसरा न0 341 की 7.9670हैक खसरान0 342 की 14.7710हैक कुल 24.7620हैक भूमि में प्रार्थी सयुक्त तौर से 195–4/5 हिस्सा में प्रार्थी के पिता का नाम प्रताप के स्थान पर बांगाराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी के पिता का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड उक्त वाद भूमि मुश्तरका खाता में सही तौर से दर्ज हैव बिना किसी आधार के संशोधन करवाने का अधिकारी नही है एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारा फरमाया जावें है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 87/78 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक का अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 90/76 के खसरा न0 220/2.0240हैक खसरा न0 341 की 7.9670हैक खसरान0 342 की

14.7710हैक्‍ कुल 24.7620हैक भूमि में प्रार्थी सयुक्त तौर से 195–4/5 हिस्सा की खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी के पिता का नाम दीपचन्द पुत्र प्रताप कतई अनुचित तौर से सहबन से गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम बागांराम है प्रार्थी अपने पिता सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने से अपूर्णीय क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नही हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी के पिता का नाम बागांराम दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रताप दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत टिडियासर द्वारा वादी के पिता के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी के पिता का सही नाम बांगाराम है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज है प्रार्थी बिना किसी आधार के नाम संशोधन करवाने का अधिकारी है एव राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 87/78 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक का अकेला खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 90/76 के खसरा न0 220/2.0240हैक खसरा न0 341 की 7. 9670हैक खसरान0 342 की 14.7710हैक कुल 24.7620हैक भूमि में प्रार्थी सयुक्त तौर से 195–4/5 हिस्सा में वादी दीपचन्द के पिता का नाम प्रताप है जिसे संशोधन करवाकर प्रताप के स्थान पर बांगाराम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी के द्वारा अपना परिवार राशन कार्ड ,आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र ,कार्ड पेश किया है जिसमें केवल प्रार्थी के नाम का ही विवरण है प्रार्थी के पिता के नाम का कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किये गये है केवल ग्राम पंचायत टिडियासर की रिपोर्ट पेश की गई है वादी हस्तगत प्रार्थना पत्र में अपने पिता का नाम संशोधन करवाना चाहता है ना की अपना नाम प्रार्थी को अपने पिता के नाम के सम्बध में साक्ष्य सबुत पेश किये जाने से जिससे यह साबित हो की प्रार्थी के पिता का सही नाम बांगाराम है किन्तु प्रार्थी ने एक भी साक्ष्य अपने पिता के नाम के सम्बंध में पेश नही किये गये है

अतः प्रार्थी अपने पिता के नाम संशोधन के सम्बध में किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत पेश नही करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारजी किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)